67

मा/पुनर्वि रीवा / 2017/2836

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म0प्र0

रामलाल साकेत तनय छोटकामन साकेत निवासी ग्राम डभौरा तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 ------ आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कन्या हाई स्कूल डभौरा तह0 जबा जिला रीवा म0प्र0
-- अनावेदक/ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा जिला रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्र0 645 /अपील /16-17 दिनांक 20-03-17

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म0प्र0भू0रा0सं0

प्र0क्र0 RS141-दो-17 दि0 25.5.17

Reader
18/8

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि माननीय न्यायायल में उक्त निगरानी प्रकरण दायरा तर्क हेतु दिनांक 25-05-17 को नियत था जिसमें दायरा तर्क के दौरान निगरानीकर्ता व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये थे क्योकि कैम्प में आने के लिये माननीय न्यायालय का तय तिथि न होने के कारण निगरानीकर्ता आवेदक को जानकारी नहीं हो पाई थी इस कारण वह अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर पाया था बाद में पता चला कि उसका प्रकरण दायर तर्क के दौरान पुकार के समय उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाये थे इस कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिच कर दिया गया।

2- यह कि प्रार्थी / आवेदक जिस भूमि के, संबंध में निगरानी प्रस्तुत किया है उसमें वह पुस्तैनी काबिज है तथा उसके पास अन्य कोई रहने के लिये भूमि नहीं है एवं उक्त भूमि के संबंध में माननीय अपर आयुक्त महोदय, के न्यायालय में सन् 2000 से अपील प्रकरण लम्बित है जिसमें शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और उक्त अपील प्रकरण में आवेदक निगरानीकर्ता को स्थगन भी प्राप्त है। इस तरह से स्थगन होने के कारण

III/ पुनी. (रिवी)/ 2017/ 2836

7/3/18

आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्र० क्र० III निगरानी 5141 II/17 में आ० दि० 25/5/17 प्रकरण डी०डी० हो गया है। पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो० आवेदनपत्र रेस्टोर कर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.